समाचार पत्रों की कतरनें
दिसम्बर 2024

वाहन पंजीकरण में लगेगा ग्रीन शुल्क
देना होगा 500 से चार हजार टैक्स

- परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना; सॉफ्टवेयर की खराबी दूर, अब होगी वसूली

चीफ रिपोर्टर – शिमला

हिमाचल में अब सभी प्रकार के नए व पुराने वाहनों के पंजीकरण पर ग्रीन शुल्क देना होगा। इससे वाहनों का पंजीकरण पहले से महंगा हो जाएगा। इस शुल्क की वसूली को लेकर परिवहन विभाग का सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा था, जिसमें कोई तकनीकी खराबी थी, जिसे अब दूर कर दिया गया है। सॉफ्टवेयर की दिक्कतों को लेकर ग्रीन शुल्क की वसूली नहीं हो पा रही थी, जिसका फैसला सरकार पहले ही ले चुकी है। कैबिनेट में इसे लेकर निर्णय लिया गया था, मगर अभी तक यह लागू नहीं हो पाया था। शनिवार को इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से आदेश जारी हुए हैं और अधिनियम के

वाहन पंजीकरण : पृष्ठ आठ पर

पुराने नियम में संशोधन भी कर दिया गया है। पिछले साल 2023 में सरकार ने ग्रीन शुल्क वसूलने का निर्णय लिया था, जो लागू करने में काफी ज्यादा समय लग गया। सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी लगातार इस काम में जुटी थी और अब सभी तरह की तकनीकी खामियां दूर हो गई हैं, जिसके चलते इसे वसूला नहीं जा सका था। परिवहन विभाग ने नया सॉफ्टवेयर बनाया है। नियम लागू करने को लेकर विभाग ने अधिसूचना जारी की है और इसे लेकर लोगों से सुझाव व आपत्तियां मांगी थी, लेकिन प्रदेश भर में किसी ने भी आपत्तियां पर सुझाव नहीं दिए हैं। अधिसूचना के तहत वाहन के अनुसार 500 से 4 हजार रुपए तक ग्रीन शुल्क वसूला जाएगा। राज्य में अब जो भी वाहन पंजीकृत होगा, उसे ग्रीन शुल्क की राशि अलग से चुकता करनी होगी।

दिव्य हिमाचल, दिनांक 1 दिसम्बर 2024
पेज न0. 01 कॉलम–1,2

प्रदेश भर में नई बसें चलाने को मिले 148 रूट
सबसे ज्यादा मंडी जिला में चलेंगी नई गाड़िया; परिवहन विभाग ने दी मंजूरी, जनता को मिलेगी सुविधा

चीफ रिपोर्टर – शिमला

हिमाचल प्रदेश में आम लोगों को नई बसों की सुविधा मिलेगी। जिन रूटों को एचआरटीसी सरेंडर कर चुका है, अब उन रूटों पर भी प्राइवेट बसें चलेंगी और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अधिकांश ऐसे सरेंडर रूटों पर एचआरटीसी की बसें बंद कर दी गई थीं, मगर अब दोबारा से लोगों को वहां पर परिवहन की सुविधा मिलने वाली है। लगभग एक साल से अटका पड़ा मामला अब सुलझ गया है और परिवहन विभाग ने 148 नई बसों के लिए रूट दे दिए हैं। प्राइवेट आपरेटरों ने इनके लिए आवेदन किए थे। एचआरटीसी ने कुल 148 बस रूट प्राइवेट आपरेटरों को दिए हैं, जिनमें जनरल रूट 29 हैं, जिनमें अलग-अलग सीटिंग कैपेसिटी की बसों को चलाया जाएगा। यहां 32 सीटर से ऊपर की बसें भी चलाई जा सकेंगी। नए रूटों में 72 रूट ऐसे हैं, जिनमें 18 सीटों वाली बसों को चलाया जाएगा। एचआरटीसी के 107 सरेंडर रूट थे, जिनमें से 87 रूट पर परमिट जारी कर दिए गए हैं। आरटीओ रामपुर के तहत एचआरटीसी के सरेंडर रूट में चार बसों को चलाने के लिए परमिट जारी कर दिए गए हैं। ऊना आरटीओ के अधीन 18 सीटर बसों के तीन रूट परमिट जारी किए हैं, तो

एचआरटीसी के सरेंडर रूट में से दो पर परमिट दिए गए हैं। हमीरपुर आरटीओ के अधीन आठ बसों के विभिन्न कैपेसिटी की बसों के रूट प्राइवेट आपरेटरों को दिए गए हैं, एचआरटीसी के सरेंडर रूट में दो पर बसें चलेंगी। शिमला आरटीओ के तहत विभिन्न कैपेसिटी की एक बस चलेगी, तो 15 रूट सरेंडर रूटों पर चलाई जाएंगी। यहां कुल 16 परमिट दिए गए हैं। कुछ्र आरटीओ को 18 सीट का एक बस रूट दिया गया है, तो सरेंडर रूट पर सात बसों को चलाया जा सकेगा। मंडी आरटीओ के तहत 18 सीटर की 18 बसें, सरेंडर रूट में से 27 रूट दे दिए हैं। सबसे ज्यादा मंडी में बस रूट मिले हैं। नाहन आरटीओ के अधीन 18 सीटर की दो नई बसें, तो सरेंडर रूट में चार पर नई बसें चलाई जाएंगी। नालागढ़ में विभिन्न कैपेसिटी की बस चलाने को एक बस रूट, सरेंडर रूट पर एक परमिट दिया गया है। चंबा में 18 सीटर बस चलाने को तीन रूट, सरेंडर रूट में पांच रूट दिए गए हैं। कांगड़ा आरटीओ के तहत 18 सीटर की 11 बसें, सरेंडर रूट की बात करें, तो 14 रूटों पर प्राइवेट बसें चलाने को मंजूरी मिली है। कुल 25 नए रूट दिए जा रहे हैं। सोलन में 13 बसें विभिन्न कैपेसिटी की चलाने के लिए रूट परमिट दिए गए हैं, सरेंडर रूटों में से छह रूट पर परमिट दिए हैं। इस तरह से विभिन्न केपेस्टी की 23 नई प्राइवेट बसें प्रदेश में चल सकेंगी। वहीं 18 सीटर की 38 बसों को चलाने के लिए रूट परमिट दिए गए हैं।

- एचआरटीसी के 107 में से 87 रूट दिए

"148 नए बस रूट के परमिट दिए हैं। इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। अभी 316 और रूट पर प्रक्रिया चल रही है। एचआरटीसी के नए सरेंडर रूटों पर भी काम चल रहा है

डीसी नेगी; निदेशक, परिवहन विभाग

दिव्य हिमाचल, दिनांक 1 दिसम्बर 2024
पेज न0. 04 कॉलम–1,2,3,4,5

नए, पुराने वाहनों के पंजीकरण पर लगेगा ग्रीन शुल्क, अधिसूचना जारी

शिमला। हिमाचल में नए व पुराने वाहनों के पंजीकरण पर अब ग्रीन शुल्क लगेगा। इससे अब वाहनों का पंजीकरण पहले से महंगा हो जाएगा। हिमाचल सरकार ने शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

500 से 4000 तक वसूले जाएंगे

अधिसूचना के तहत वाहन के टाइप के अनुसार 500 से 4 हजार रुपये तक ग्रीन शुल्क वसूला जाएगा। वर्ष 2023 में यह शुल्क लगाया गया था, लेकिन सॉफ्टवेयर में इसे वसूलने में कुछ तकनीकी खामियां आ रही थीं। इसके चलते इसे वसूला नहीं जा सका था। परिवहन विभाग ने नया सॉफ्टवेयर बनाया है। हालांकि शुल्क लगाने से पहले विभाग ने लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे थे। लेकिन प्रदेश भर में किसी ने इस पर आपत्तियां दर्ज नहीं कराई। किसी ने सुझाव भी नहीं दिए हैं। प्रदेश में अब सभी प्रकार के नए व पुराने वाहनों का पंजीकरण करवाना महंगा होगा। ग्रीन शुल्क से एकत्र धन पर्यावरण व सड़क सुरक्षा पर लगाया जाएगा। ब्यूरो

अमर उजाला, दिनांक 1 दिसम्बर 2024
पेज न0. 01 कॉलम–1

ड्रंक एंड ड्राइव व ओवर स्पीडिंग पर पुलिस की सख्ती से 2022 के मुकाबले 42 फीसदी कम हुए हादसे

इस साल हादसों में जान गंवाने वालों व घायलों की संख्या में भी आई कमी

राजेश कुमार ■ धर्मशाला

जिला कांगड़ा में ड्रंक एंड ड्राइव व ओवरस्पीडिंग पर पुलिस द्वारा बरती जा रही सख्ती के साथ कार्रवाई से सड़क हादसों में कमी दर्ज हुई है।

आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो वर्ष 2022 के मुकाबले इस वर्ष अब तक सड़क हादसों में 42 फीसदी की कमी आई है, साथ ही हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या में 35 फीसदी, जबकि घायल होने वालों में 55 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। पूर्व के वर्षों की बात करें तो साल-दर-साल सड़क हादसों का आंकड़ा बढ़ता रहता था, लेकिन वर्ष 2022 से इसमें कमी दर्ज की गई है। जिला पुलिस के अनुसार विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्रों के अंतर्गत ड्रंक एंड ड्राइव व ओवरस्पीडिंग मामलों पर फोकस करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे कि सड़क हादसों में और कमी लाई जा सके। सड़क हादसों में कमी लाने को प्रयासरत जिला पुलिस की ओर से ड्रंक एंड ड्राइव सहित ओवरस्पीडिंग वाहन दौड़ने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है।

वर्ष	सड़क हादसे	मौतें	घायल
2022	307	119	683
2023	295	97	409
2024	187	73	285

(31 अक्तूबर तक)

■ ओवर स्पीड वाहन दौड़ाने वालों पर कसा जा रहा शिकंजा

यही वजह है कि इस वर्ष, पिछले वर्ष की अपेक्षा दो गुणा चालान ओवरस्पीडिंग के किए गए हैं। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि ओवर स्पीडिंग में वर्ष 2022 में 1500, वर्ष 2023 में 3000, जबकि इस वर्ष अब तक पिछले वर्ष की अपेक्षा दो गुणा 6127 चालान किए गए हैं।

वहीं ड्रंक एंड ड्राइव की बात करें तो वर्ष 2022 में 131 चालान हुए थे, जबकि वर्ष 2023 में 1744 चालान किए गए। वहीं इस वर्ष अब तक 1209 से अधिक चालान किए गए हैं।

बिना नंबर प्लेट व लाइसेंस के 64 वाहन सीज

एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि बिना नंबर प्लेट और बिना लाइसेंस गाड़ियां चलाने पर उन्हें सीज किया गया है। वर्ष 2023 में 109 और इस वर्ष अब तक 64 वाहनों को सीज किया जा चुका है। एसपी ने बताया कि कई क्षेत्रों में तेज रफ्तार वाहन दौड़ाने की शिकायतें पुलिस को मिलती हैं, ऐसे मामलों में वर्ष 2022 में 800, वर्ष 2023 में 1300 के लगभग, जबकि इस वर्ष 800 के करीब ऐसे चालान किए गए हैं।

हिमाचल दस्तक, दिनांक 2 दिसम्बर 2024
पेज न0. 10 कॉलम–3,4,5

टैक्स जमा नहीं करने पर 27 निजी बसों के चालान

आरटीओ स्क्वायड टीम की शहर में कार्रवाई

शिमला। शहर में राज्य पथकर जमा नहीं करवाने वाले निजी बस ऑपरेटरों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

आरटीओ शिमला की टीम ने मंगलवार को शहर में जगह-जगह नाकाबंदी कर राज्य पथकर जमा नहीं करवाने पर 27 बसों के चालान काटे। विभाग ने टैक्स जमा नहीं करवाने वाले संचालकों को 11 दिसंबर तक की मोहलत दी है। विभाग ने साफ किया है कि अगर इस तय समय अवधि में टैक्स जमा नहीं करवाया तो उनके बसों को जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा परिवहन विभाग ने विभिन्न नियमों की अवहेलना होने पर दस

11 दिसंबर तक पथकर जमा करवाने की दी हिदायत

और बसों के चालान भी काटे। इनसे करीब 10,000 रुपये जुर्माना वसूल किया है। परिवहन विभाग के मुताबिक शहर में चलने वाली 265 बसों में से कई बसों ने सालों से राज्य पथकर जमा नहीं करवाया है।

परिवहन विभाग की टीम ने मंगलवार को पुराना बस स्टैंड, टॉलैंड और बालूगंज वाइफरकेशन के समीप नाकाबंदी कर बसों के दस्तावेजों को जांचा। इस दौरान एसआरटी समेत वर्दी नहीं पहनने और इंश्योरेंस नहीं करवाने वालों पर भी कार्रवाई की है। ब्यूरो

अमर उजाला, दिनांक 4 दिसम्बर 2024
पेज न0. 03 कॉलम–3,4

ग्रामीण रूटों के लिए मिलेंगे टेंपो ट्रैवलर के परमिट

बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए सरकार की कवायद, जहां सवारियां कम, वहां होगा संचालन

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। हिमाचल में निजी ऑपरेटरों को बसों के अलावा अब टेंपो ट्रैवलर के रूट परमिट भी आवंटित होंगे।

बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है।

परिवहन विभाग को टेंपो ट्रैवलर के रूट चिह्नित करने के आदेश

ग्रामीण रूटों पर जहां बसों में ऑक्यूपेंसी कम रहती है, वहां टेंपो ट्रैवलर चलाए जाएंगे। सरकार की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होगी। सरकार ने परिवहन विभाग को टेंपो ट्रैवलरों के रूट चिह्नित करने के निर्देश जारी किए हैं।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि परिवहन विभाग ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के माध्यम से सभी जिलों में सर्वेक्षण करवाया जाएगा। संभावना तलाशी जाएगी कि किन रूट पर टेंपो ट्रैवलर को चलाया जा सकता है। जहां सवारियां कम हैं वहां बसें चलाने से निजी बस ऑपरेटर को घाटा न हो इसके लिए टेंपो ट्रैवलर चलाने के रूट परमिट दिए जाएंगे।

टेंपो ट्रैवलर में सीटें कम होती हैं और उतनी सवारियां रूट पर मिल जाएंगी। इससे लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी।

अमर उजाला, दिनांक 4 दिसम्बर 2024
पेज न0. 03 कॉलम–3,4

नाच आ गई और मौके पर ही दम

20 बसों के चालान कर वसूला 62 हजार जुर्माना

आरटीओ ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर की कार्रवाई

हिमाचल दस्तक ■ शिमला

शिमला में आरटीओ ने वीरवार को नियमों का उल्लंघन करने पर 20 बस चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। शहर के खलीणी, हीरानगर व टुटू में आरटीओ द्वारा नाका लगाया गया था। इस दौरान करीब 20 बसों के चालान कर 62 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।

इसमें एचआरटीसी और प्राइवेट बसों में ओवरलोडिंग, टिकट न देने, सीट बेल्ट ना पहनने, बिना वर्दी के बस में सेवाएं दे रहे चालकों व परिचालकों और म्यूजिक सिस्टम तेज आवाज में चलाने पर कार्रवाई की गई। इन सभी शिकायतों को लेकर खलीणी में नाका लगाया गया था। इस दौरान 20 बसों की चेकिंग की गई। इनमें ज्यादातर चालकों व परिचालकों ने वर्दी नहीं पहनी हुई थी। जबकि करीब 8 बसों में बिना टिकट के सवारियां ढोने वाली निजी बसों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। यहां आरटीओ ने 30 हजार रुपये का चालान किया गया। इसके अलावा हीरानगर व टुटू में भी नाका लगाया गया था। इन सभी को मिलाकर कुल 62 हजार जुर्माना वसूला गया है।

> शहर में जगह-जगह नाकाबंदी कर नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान काटे हैं। बसों में सवारियों को टिकट नहीं दी जा रही है। ऐसे में अब टिकटों को लेकर सख्ती बरतने की जरूरत है। अब वॉल्वो बसों का भी चालान किया जाएगा।
>
> -अनिल कुमार शर्मा
> आरटीओ, शिमला।

■ शहर के खलीणी, हीरानगर व टुटू में लगाया था नाका

बसों में सवारियों को नहीं दी जा रही टिकट

शहर में सवारियां बसों में सफर तो कर रही हैं, लेकिन निजी बस परिचालकों द्वारा उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है। कई बार सवारियों द्वारा टिकट की मांग भी की जाती है। इसके बाद ही कुछ बसों के परिचालक सवारियों को टिकट देते हैं। इसको देखते हुए आरटीओ द्वारा नाका लगाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है।

हिमाचल दस्तक, दिनांक 6 दिसम्बर 2024
पेज न0. 07 कॉलम–1.2.3.4

बिना हेलमेट दो बाइक और स्कूटी न चलाने की नसीहत

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-बद्दी

पीएमश्री मानपुरा स्कूल में प्रधानाचार्य अदित कंसल की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा क्लब द्वारा दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के प्रथम दिन संसाधन व्यक्ति डा. राजेंद्र सिंह ठाकुर (राज हेल्थ केयर सेंटर हॉस्पिटल) द्वारा छात्रों को सड़क दुर्घटना के उपरांत प्राथमिक चिकित्सा किस तरीके से प्रदान की जाए इसके विषय में बताया गया। कार्यशाला के दूसरे दिन संसाधन व्यक्ति एसआई मानपुरा अश्विनी कुमार और हैड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह द्वारा छात्रों को सड़क सुरक्षा नियमों से अवगत करवाया गया। उन्होंने छात्रों को बिना हेलमेट दो पहिया वाहन न चलाने की सलाह दी। उन्होंने रैश ड्राइविंग से होने वाले जान और माल के नुकसान, प्रेशर हॉर्न, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करने की जानकारी दी। यातायात नियमों के प्रति जागृत करने के लिए सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी। इस दौरान क्लब के सदस्य रीमा ठाकुर और उमा शर्मा स्टाफ के सदस्य, राधा, गीतांजलि, मुक्ता गुप्ता, रीना, कुसुम लता, रेखा, अंजू और अनुपमा आदि शामिल रहे।

दिव्य हिमाचल, दिनांक 7 दिसम्बर 2024
पेज न0. 05 कॉलम–7.8

प्रदेश में जियो और ईवीआई लगाएंगे 41 चार्जिंग स्टेशन

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। जियो बीपी (रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड) और ईवीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड प्रदेश में पांच ग्रीन कॉरिडोर पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की उपस्थिति में परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी ने कंपनियों के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किए।

दोनों कंपनियां एक साल में 41 में से 31 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेंगी। यहां यात्रियों को शौचालय, फूड कोर्ट सहित अन्य वे-साइड सुविधाएं भी मिलेंगी। एक हफ्ते में तीसरी कंपनी इलेक्ट्रोवेब के साथ भी एमओयू होगा। यह कंपनी 10 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन और वे-साइड सुविधाएं देंगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि जियो बीपी कंपनी मंडी-जोगिंद्रनगर पठानकोट के साथ-साथ कीरतपुर-मनाली-केलांग ग्रीन कॉरिडोर को विकसित करेगी। ईवीआई टेक्नोलॉजी एक वर्ष के भीतर परवाणु-ऊना-संसारपुर टेरेस-नूरपुर तथा परवाणु, शिमला-रिकांगपियो-लोसर ग्रीन कॉरिडोर विकसित करेगी। इलेक्ट्रोवेब कंपनी शिमला-हमीरपुर-चंबा ग्रीन कॉरिडोर को विकसित करेगी। इन पांच ग्रीन कॉरिडोर पर कंपनियां एक साल के भीतर 41 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन, वे-साइड सुविधाएं तथा सुपर मार्केट स्थापित करेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 41 स्थानों पर ई-बस, ई-ट्रक तथा अन्य ई-व्हीकल को चार्ज करने की सुविधा मिलेगी। इन स्थानों पर शौचालय तथा रेस्तरां की सुविधाएं भी मिलेगी। सरकार को कंपनियां 75 लाख रुपये प्रति वर्ष लीज मनी देगी।

पांच ग्रीन कॉरिडोर में स्टेशन स्थापित करने को लेकर एमओयू हस्ताक्षरित

एक साल के भीतर लगेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन, वे-साइड सुविधाएं भी मिलेंगी

अमर उजाला, दिनांक 11 दिसम्बर 2024
पेज न0. 02 कॉलम–1,2,3,4.

सड़कों को बनाएं अतिक्रमणमुक्त, अवैध रेहड़ी-फड़ी हटाने के दिए निर्देश

सड़क सुरक्षा नियमों की सख्ती से हो अनुपालना: डीसी

हिमाचल दस्तक ▮ ऊना

जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक मंगलवार को उपायुक्त जतिन लाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपायुक्त ने ऊना जिला में सड़क सुरक्षा कानून की सख्ती से अनुपालना करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में सड़कों को सुरक्षित, अतिक्रमणमुक्त तथा यातायात को जोखिम रहित बनाने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण से कार्य करने को कहा।

उन्होंने दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए संबंधित विभागों को पूर्व सुधारात्मक कदम उठाने तथा यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ओवर स्पीड और लापरवाही से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्ती से निपटा जाए। उपायुक्त ने सभी उपमंडलाधिकारियों, पुलिस और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करके अपने-अपने अधीनस्थ कार्य क्षेत्र में दुर्घटना संभावित स्थलों एवं ब्लैक स्पॉट की पहचान करके उन्हें सुधारने के निर्देश दिए।

उन्होंने आगामी रोड सेफ्टी की बैठक में इस संबंध में उठाए गए कदमों की प्रगति रिपोर्ट का फोटो सहित ब्यौरा प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा दुर्घटना संभावित स्थलों पर आवश्यकतानुरूप सीसीटीवी कैमरे तथा क्रैश बैरियर, पैरापेट, लाइट रिफ्लेक्टर और स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं। उपायुक्त ने सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने तथा अवैध रेहड़ी-फड़ी को हटाने के निर्देश भी दिए। बैठक में एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान, एसडीएम गगरेट सौमिल गौतम, एसडीएम हरोली विशाल शर्मा, एसडीएम अंब सचिन शर्मा, डॉ. सुखदीप सिंह सिधू, पीडब्ल्यूडी अधिशाषी अभियंता बलदेव कुमार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

स्कूली वाहनों का निरीक्षण करते रहें एसडीएम

डीसी ने समस्त एसडीएम को स्कूली वाहनों का समय-समय पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूली वाहनों की फिटनेस तथा चालकों द्वारा यातायात नियमों का अनुपालन करने और बसों में कंडक्टर का होना अनिवार्य तौर पर सुनिश्चित बनाया जाए। उपायुक्त ने एमसी पार्क के सामने तथा रोटरी चौक में हर रोज सुबह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के सड़क पर एकत्रित होने से भीड़ की समस्या के मसले का संज्ञान लेते हुए यहां उचित व्यवस्था बनाए रखने को कहा। लोगों को खड़ा होने के लिए सड़क से हट कर स्थान तय किया जाए ताकि सड़क पर लोग एकत्रित न हों।

CMYK

हिमाचल दस्तक, दिनांक 10 दिसम्बर 2024
पेज न0. 04 कॉलम–4.5.6

टैक्सी परमिट की वैधता 15 साल करने की मांग

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। टैक्सी ऑपरेटरों ने प्रदेश सरकार से टैक्सी का परमिट 15 साल करने की मांग उठाई है। इसके अलावा स्कूटी और बाइक को रेंट पर देने के परमिट जारी करने पर रोक लगाने की मांग की है। इसको लेकर राजधानी टैक्सी मैक्सी ऑपरेटर वेलफेयर सोसायटी जिला शिमला का प्रतिनिधिमंडल आरटीओ शिमला अनिल कुमार शर्मा से मिला।

इस दौरान उन्होंने टैक्सी ऑपरेटरों की मांगों और समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि कुफरी समेत नजदीक के पर्यटन स्थलों के लिए निजी गाड़ियां और बसों का संचालन किया जा रहा है। इस वजह से टैक्सी ऑपरेटरों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से ऐसे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है।

आरटीओ शिमला ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि निजी बसों, बाइकों और स्कूटी के संचालन से टैक्सी व्यवसाय को नुकसान हो रहा है। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल ने शहर में प्रीपेड बूथ स्थापित करने की भी मांग रखी। इसके बाद सोसायटी की शहर के निजी होटल में बैठक हुई।

अमर उजाला, दिनांक 12 दिसम्बर 2024
पेज न0. 02 कॉलम–1,2

शहर में शुरू होगी टैक्सी पूलिंग सेवा यातायात जाम से भी मिलेगी राहत

परिवहन विभाग अधिकारियों से चर्चा कर लेगा शुरू करने का फैसला, रोजगार भी मिलेगा

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। निजी वाहनों से कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों को परिवहन विभाग टैक्सी पूलिंग (शेयरिंग) की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। इससे जहां शहर में वाहनों का दबाव कम होगा वहीं जाम भी नहीं लगेगा। इसके साथ निजी टैक्सी संचालकों को नियमित रोजगार भी मिलेगा।

अधिकारियों से चर्चा के बाद इस योजना को लागू करने पर फैसला होगा। शहर के टैक्सी संचालकों के साथ चर्चा के बाद परिवहन विभाग इस योजना पर काम कर रहा है। विभाग के मुताबिक टैक्सी पुलिंग योजना से लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसको देखते हुए वह इसकी निगरानी करेगा।

खास खबर

वर्तमान में शहरवासी सुबह और शाम के समय पीक ऑवर्स में लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। इसकी मुख्य वजह शहर में बढ़ती वाहनों की संख्या है।

हालत यह है कि हर रोज लगने वाले ट्रैफिक जाम के कारण लोग समय से पहले कार्यालय और गंतव्य के लिए निकलने के बावजूद समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसको देखते हुए कुछ समय पहले

इन क्षेत्रों के लिए शुरू होगी टैक्सी सेवा

परिवहन विभाग टैक्सी पूलिंग की सुविधा प्रथम चरण में उन क्षेत्रों के लिए शुरू करेगा जहां हर रोज हजारों कर्मचारी आवाजाही करते हैं। इसमें प्रदेश सचिवालय, आईजीएमसी, एसडीए कॉम्प्लेक्स और हिमाचल विश्वविद्यालय को शामिल किया है। इससे हर रोज अस्पताल जाने वाले मरीजों को सीधी सेवा उपलब्ध हो सकेगी। इन क्षेत्रों के लिए योजना सफल रहती है, तो फिर पूरे शहर में इसे लागू किया जाएगा। इसके सफल होने से शहर में बढ़ती वाहनों की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी तो साथ ही सड़कों पर जगह-जगह होने वाली बेतरतीब पार्किंग की समस्या भी हल हो सकती है।

"शहर के टैक्सी संचालकों के साथ इसको लेकर चर्चा की गई है। सड़कों से वाहनों का दबाव कम हो, इसको लेकर विभाग टैक्सी पूलिंग की योजना को लागू करने पर विचार कर रहा है। अभी यह प्रारंभिक स्तर पर है और उच्च अधिकारियों से चर्चा के बाद ही इसको लेकर फैसला लिया जाएगा। यह योजना आम लोगों के हित में होगी।"

-अनिल कुमार शर्मा
आरटीओ,शिमला

निजी टैक्सी लोग कर सकेंगे शेयर, विभाग करेगा निगरानी

एचआरटीसी ने शहर में टेंपो ट्रैवलर चलाने की योजना पर भी काम शुरू किया था।

इसको लेकर सर्वे भी करवाया था। इसमें पता चला था कि निजी वाहनों में एक-एक व्यक्ति कार्यालय और अस्पतालों के लिए जाते हैं। इससे वाहनों की संख्या बढ़ती है और जगह-जगह जाम लगता है।

लोगों ने इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने और निजी वाहनों का प्रयोग नहीं करने की सलाह दी थी। इसके बाद अब परिवहन विभाग पूलिंग टैक्सी सेवा योजना पर काम कर रहा है। शहर के कुछ हिस्सों में सुबह और शाम के समय हर रोज जाम लगता है।

अमर उजाला, दिनांक 13 दिसम्बर 2024
पेज न0. 02 कॉलम–2,3,4,5

11वीं, 12वीं कक्षा के पाठ में सड़क सुरक्षा पर भी होगी बात

'प्लैज' और 'रोड सेफ्टी : फॉर ए सेफर टूमारो' अंग्रेजी के अध्याय में जुड़ेंगे

विपिन चौधरी

धर्मशाला। अगले शैक्षणिक सत्र से 11वीं के विद्यार्थी 'प्लेज' और 12वीं के विद्यार्थी 'रोड सेफ्टी : फॉर ए सेफर टूमारो' अध्याय से सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ेंगे। इसकी व्यवस्था हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अंग्रेजी विषय की पुस्तक में अलग से अध्याय जोड़ कर की है। इस दौरान स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाने के साथ-साथ डिजी लॉकर की भी जानकारी दी जाएगी।

खास खबर

प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड आगामी शैक्षणिक सत्र से सड़क सुरक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ रहा है। 11वीं और 12वीं कक्षा की अंग्रेजी विषय की पुस्तक में इसके अध्याय जुड़ेंगे। पाठ्यक्रम से बच्चों को आईटीएमसी सिस्टम और डिजी लॉकर की भी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी।

11वीं : सावधानी से गाड़ी चलाने की मिलेगी सीख

11वीं कक्षा की अंग्रेजी विषय की पुस्तक में अध्याय नंबर-6 में 'द ट्रैवलर प्लैज' को शामिल किया है। इस अध्याय से 11वीं कक्षा के बच्चों को सावधानी से वाहन चलाने, जल्दबाजी से बचने सहित अन्य माध्यमों के बारे में जागरूक किया जाएगा।

इस संदर्भ में स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 11वीं और 12वीं कक्षा की अंग्रेजी विषय की पुस्तक में सड़क सुरक्षा पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों को जोड़ा गया है। इस संदर्भ में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे विषय की पाठ्य सामग्री को संबंधित संस्थान के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उचित व्यवस्था करें। उन्होंने बताया कि अध्ययन सामग्री सभी विद्यालयों के यूजर आईडी पर उपलब्ध करवा दी है।

12वीं : सावधानियों और सड़क के चिह्नों की मिलेगी जानकारी

12वीं कक्षा में अंग्रेजी विषय के अध्याय-7 में 'रोड सेफ्टी : फॉर ए सेफर टूमारो' को जोड़ा गया है। इस पाठ में स्कूल के विद्यार्थियों के ट्रैफिक कंट्रोल रूम के टूअर के बारे में बताया गया है। इसमें वाहन चलाते समय बरती जाने वाली सावधानियों और रोड साइनों के बारे में जानकारी दी है।

अमर उजाला, दिनांक 13 दिसम्बर 2024
पेज न0. 08कॉलम–1,2,3

5 साल में रोड एक्सीडेंट्स में 7.77 लाख मौतें

एजेंसी ▮ नई दिल्ली

रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 रिपोर्ट

▮ यूपी पहले पर, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर

देश में 5 साल में सड़क हादसों में 7.77 लाख मौतें हुई हैं। सबसे ज्यादा 1.08 लाख मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 84 हजार और महाराष्ट्र 66 हजार मौतों के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से जारी किए गए 2018 से 2022 के डाटा के आधार पर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने 'रोड एक्सीडेंट इन इंडिया, 2022' रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक, 2021 में देश में सड़क हादसों में 1,53,972 मौतें हुई थीं, जो 2022 में बढ़कर 1,68,491 हो गई। बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 12 दिसंबर को कहा था कि दुनिया में सड़क हादसों को लेकर सबसे खराब रिकॉर्ड हमारा है। जब भी मैं किसी अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जाता हूं और वहां सड़क हादसों को लेकर बात होती है, तो मैं अपना मुंह छुपाने की कोशिश करता हूं। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में देश में कुल 4,61,312 सड़क हादसे दर्ज किए गए, **शेष @ पेज 13**

हिमाचल दस्तक, दिनांक 15 दिसम्बर 2024
पेज न0. 01कॉलम–1,2,3

यातायात नियम न मानने पर बड़ा जुर्माना

पुलिस के अलावा परिवहन विभाग ने भी बेलगाम चालकों पर कसा शिकंजा

चीफ रिपोर्टर – शिमला

▪ प्रदेश भर में साढ़े 36 हजार वाहनों के हुए चालान

सड़क सुरक्षा नियमों को न अपनाकर उनकी उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों पर एक तरफ पुलिस विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है, तो दूसरी ओर परिवहन विभाग ने भी अपनी कार्रवाई की है। ऐसे उल्लंघनकर्ताओं पर परिवहन विभाग की पैनी नजर है, जिसने बड़े पैमाने पर ऐसे वाहन मालिकों के चालान काटे हैं। अब वैसे भी परिवहन विभाग ने सीमाओं पर और कई मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं, जिनसे आने वाले समय में ऑनलाइन चालान किए जाएंगे। इससे कोई भी वाहन चालक जो नियमों की उल्लंघना करता है, वह बच नहीं पाएगा। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ऐसे उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों के काटे गए चालान की संख्या पहली जनवरी से 31 अक्तूबर तक 36 हजार 324 की बनती है। इतनी बड़ी संख्या में परिवहन विभाग ने भी चालान किए हैं। इन उल्लंघनकर्ताओं से 8.73 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है। यातायात नियमों की अवहेलना जिनमें बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना, तेज रफ्तार में वाहन चलाना, बिना हेलमेट पहन कर दो पहिया वाहन चलाना, ओवर लोडिंग के चालान काटे गए हैं। वाहन मालिकों को लगातार परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ा रहा है। पिछले साल के आंकड़ों की बात करें तो पिछले पूरे साल यानि जनवरी से दिसंबर तक परिवहन विभाग ने 22 हजार 546 चालान काटे थे। इनसे 5.57 करोड़ का राजस्व वसूला गया था। इस साल यह आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ा है। परिवहन विभाग प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर अत्याधुनिक कैमरे लगा रहा है। वहीं परिवहन निदेशक डीसी नेगी ने बताया कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सभी जिलों के आरटीओ को निर्देश दिए हैं कि हर महीने विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। इनमें बाहरी राज्यों से बिना टैक्स देकर आने वाले वाहन, ओवर लोडिंग, सीट बैल्ट न लगाने, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने के अलावा यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है।

दिव्य हिमाचल , दिनांक 15 दिसम्बर 2024
पेज न0. 02कॉलम–2,3,4

मुख्यालय पहुंची रिपोर्ट, जल्द मिलेंगे टैम्पो ट्रैवलर परमिट

चीफ रिपोर्टर- शिमला

राज्य के बेरोजगार युवाओं को अब जल्दी ही टैम्पो ट्रैवलर के लिए रूट परमिट दिए जाएंगे। आरटीओ के स्तर पर रूटों की जो जानकारी मांगी गई थी वो मुख्यालय में पहुंच चुकी है जिसमें कुछ संशोधन करने का काम चल रहा है। यह सूची फाइनल होते ही यहां टैम्पो ट्रैवलर के परमिट दिए जाएंगे जो कि 18 सीटों वाले होते हैं। सरकार ने स्वरोजगार की दृष्टि से इसका ऐलान कर रखा है। इनको मिनी बसें भी कहा जाता है जिसके लिए एचआरटीसी भी प्रयास कर रहा है वहीं इससे अलग बेरोजगार युवाओं को भी परमिट दिए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार प्रदेश के सभी आरटीओ को रूट लिस्ट भेजने को कहा गया है। आरटीओ को कहा गया था कि वह ऐसे रूटों की लिस्ट बनाकर भेजें जिन पर अभी तक बस सेवा नहीं है जिस पर यह रूट लिस्ट भेज दी गई है जिसमें अब संशोधन चल रहा है। इन रूटों पर लोगों की डिमांड आ रही है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए वहां पर ट्रैवलर चलाया जा सकती हैं। 18 सीटर ट्रैवलर कहीं पर भी आसानी से चल सकती है जिसके लिए बड़ी सड़क की जरूरत नहीं रहती।

" आरटीओ से 18 सीटर ट्रैवलर के लिए रूट चिन्हित करने को कहा गया है जिसकी जानकारी आ गई है। कुछ रूट पहले भी दिए गए हैं मगर उससे अलग विशेषकर 18 सीटों के लिए ही नए रूट निर्धारित किए जा रहे हैं

डीसी नेगी, निदेशक, एचआरटीसी

दिव्य हिमाचल , दिनांक 15 दिसम्बर 2024

पेज न0. 02कॉलम–4,5,6

चंडीगढ़-शिमला एनएच -5 पर जनवरी से 28 दिसंबर के बीच सड़क दुर्घटनाओं में हुई भारी बढ़ोतरी

129 सड़क हादसों में 23 ने गंवाई जान, 175 हुए घायल

हिमाचल दस्तक | सोलन

चंडीगढ़-शिमला एनएच-5 हादसों का फोरलेन बन गया है। इस वर्ष राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं में भारी बढ़ोतरी हुई है। जनवरी से 28 दिसंबर के बीच परवाणू से कैथलीघाट में सड़क दुर्घटनाओं के 129 मामले सामने आए हैं, जिसमें 23 लोग काल का ग्रास बने, जबकि 175 लोग घायल हुए हैं। यह वे मामले हैं जो पुलिस के पास पंजीकृत हुए हैं। ऐसे मामलों की संख्या भी बहुत अधिक है जो आपसी समझौते से सुलझ गए। यदि इन मामलों को भी इनमें जोड़ दिया जाए तो यह संख्या करीब 200 के पास है। 129 सड़क हादसों को भी आधार बनाया जाए तो जिला सोलन में एनएच-5 पर हर महीने औसतन करीब 12 सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आए हैं। पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो यह आंकड़ा 50 से 60 के बीच में था लेकिन इस वर्ष यह संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है। परवाणू से सोलन के बीच 2-3 पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो फोरलेन लगभग बनकर तैयार हो गया है, जबकि चंबाघाट से कैथलीघाट के बीच करीब 80 से 90 फीसदी के बीच में यह बनकर तैयार हो गया है। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि एनएच-5 पर जनवरी से लेकर अभी तक सड़क दुर्घटनाओं के 129 मामले सामने आए हैं, जिसमें 23 लोगों की मौत हुई है जबकि 175 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि एनएच पर स्पीड को मद्देनजर रखते हुए ही वाहनों को चलाएं।

ओवरस्पीड बन रही सड़क हादसों का कारण

एनएच-5 पर वाहन दुर्घटना का ओवर स्पीड सबसे बड़ा कारण है। ओवरस्पीड के कारण कई वाहन सड़क के बीच में ही पलट गए। एनएचएआई ने परवाणू से शिमला तक बन रहे फोरलेन का डिजाइन 40 किलोमीटर स्पीड के लिए किया है, यानी इस फोरलेन पर वाहनों की स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर प्रतिघंटा रखी है। यह अलग बात यह है कि फोरलेन पर स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड बीच-बीच में ही कहीं लगे हैं। कुछ पॉइंट ऐसे हैं, जहां पर यह स्पीड 30 किलोमीटर प्रतिघंटा है, जबकि फोरलेन पर वाहन 70 से 80 या फिर इससे अधिक स्पीड पर चल रहे हैं, जोकि हादसों का कारण बन रही है।

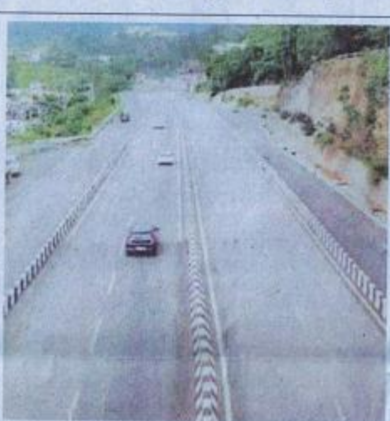

फोरलेन पर एक लेन को अचानक बंद करना भी दुर्घटनाओं की वजह

इसके अलावा परवाणू से सोलन तथा चंबाघाट से कैथलीघाट के बीच में कई स्थानों पर फोरलेन का निर्माणकार्य चला हुआ है। निर्माणकार्य के चलते कई बार फोरलेन की एक लेन को अचानक बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण दोनों ओर के वाहनों की आवाजाही एक लेन से होना भी हादसों का कारण बन रही है। बीच में कहीं एक लेन अचानक बंद हो गई और ओवरटेक किया तो हादसा की वजह बन रही है। पिछले दिनों कंडाघाट के समीप क्लब महेंद्रा के पास कार व बाइक के बीच में टक्कर की यही वजह थी। परवाणू से सोलन के बीच में 3-4 पॉइंट ऐसे हैं, जहां पर एक ही लेन से दोनों तरफ के वाहनों की आवाजाही हो रही है। परवाणू से कैथलीघाट के बीच में यह संख्या अभी अधिक है।

हिमाचल दस्तक, दिनांक 30 दिसम्बर 2024

पेज न0. 4 कॉलम–1,2,3,4,5

संशोधन | **एचआरटीसी ने नए सिरे से भेजा प्रस्ताव, पहले परिवहन विभाग ने वापस कर दी थी फाइल**

अब 168 नहीं, 55 रूट ही होंगे सरेंडर

चीफ रिपोर्टर – शिमला

प्रदेश पथ परिवहन निगम ने अपने सरेंडर किए जाने वाले रूटों की संख्या को कम कर दिया है। पूर्व में कैबिनेट से जो 168 रूट सरेंडर करने की मंजूरी मांगी गई थी, उसकी संख्या घटकर 55 रह गई है। अब केवल 55 रूट ही एचआरटीसी सरेंडर करेगा और इसे लेकर अब नए सिरे से उसने प्रस्ताव परिवहन विभाग को भेज दिया है। बता दें कि इससे पहले जो रूट परिवहन विभाग को सरेंडर करने के लिए भेजे गए थे, उन पर परिवहन विभाग को ही आपत्तियां थीं। परिवहन विभाग ने उन रूटों को खंगालने के बाद पाया कि इनमें से अधिकांश रूटों के नाम सही नहीं हैं। इसमें पाया गया कि कई रूट एचआरटीसी ने खुद से ही बना लिए हैं और वहां के लिए बसें चल रही हैं, जबकि परिवहन विभाग के पास उस नाम से रूट पंजीकृत ही नहीं हैं। लोगों की मांग के अनुसार बस को कुछ किलोमीटर तक आगे बढ़ा दिया जाता है, जिसकी मंजूरी सरकार से ली जाती है, मगर यह रूट परिवहन विभाग के पास पंजीकृत नहीं था। लिहाजा परिवहन विभाग ने आपत्तियों के साथ एचआरटीसी को यह फाइल संशोधन करने के लिए भेजी थी। सूत्रों के अनुसार एचआरटीसी ने इनमें संशोधन कर दिया है, जिसके बाद अब केवल 55 रूट ही सरेंडर होंगे। बता दें कि इससे पहले 108 रूट सरेंडर किए गए थे और उनमें से 84 रूटों का ही आबंटन परिवहन विभाग कर सका है। इसकी प्रक्रिया अभी चल रही है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से पूरी छानबीन के बाद इनके लिए आवेदन मांगे गए थे और 84 का आबंटन अब किया गया है। इनमें परमिट देने का काम शुरू हो चुका है और आवेदनों के अनुसार परिवहन विभाग परमिट आबंटित कर रहा है। फिलहाल एचआरटीसी के 168 नहीं बल्कि 55 रूट ही बंद होंगे। इन रूटों पर प्राइवेट ऑपरेटर्ज को मौका दिया जाएगा, जिसके लिए परिवहन विभाग जल्दी ही प्रक्रिया शुरू करेगा। परिवहन विभाग अब जल्द ही नए सिरे से इसके लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगेगा।

148 पर परमिट जारी करने की प्रक्रिया शुरू

परिवहन विभाग ने जिन 84 सरेंडर रूटों के आबंटन की प्रक्रिया को शुरू कर रखा है, उनमें छोटी बसें भी चलाई जाएंगी। इसके साथ कुछ पुराने रूट भी थे, जिनको जोड़कर कुल 148 रूटों पर परमिट देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इनमें जनरल रूट 29 हैं, जिनमें अलग-अलग सीटिंग कैपेसिटी की बसों को चलाया जाएगा। यहां 32 सीटर से ऊपर की बसें भी चलाई जा सकेंगी। इसके अलावा नए रूटों में 72 रूट ऐसे हैं, जिनमें 18 सीटों वाली बसों को चलाया जाएगा। ये छोटी बसें होंगी, लेकिन यात्रियों को इनसे अच्छी सुविधा मिलेगी।

दिव्य हिमाचल , दिनांक 31 दिसम्बर 2024

पेज न0. 5 कॉलम–3,4,5,6,7